प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 02 – 09 मई 2016 मूल्य पांच रूपए

मकलोडगंज प्रकरण

क्या एन जी टी के निर्देशानुसार दोषीयों के खिलाफ कारवाई कर पायेगी सरकार

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालय की सी ई सी के बाद नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचे कांगड़ा के धर्मशाला स्थित मकलोड़गंज बस स्टैण्ड निर्माण मामलें में अन्ततःट्रिब्यूनल ने 35 लाख का जुर्माना लगाते हुए इस निर्माण को पन्द्रह दिन के भीतर तोड़ने और संवद्ध जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने तथा उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों की अनुपालना की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंपते हुए कहा है '' We direct the Chief Secretary to hold an enquiry against the erring officials of HP BSM &DA and fix responsibility ट्रिब्यूनल ने 35 लाख के जुर्माने में 15 लाख निर्माता कंपनी प्रंशाती सूर्य को 10 लाख बस अड्डा प्राधिकरण और पांच लाख प्रदेश सरकार तथा पांच लाख पर्यटन विभाग को लगाया है।

स्मरणीय है कि मकलोड़गंज में पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये भारत सरकार ने 12.11.97 को पत्र संख्या 9-373/97-ROC के माध्यम से 930 वर्ग मीटर वन भूमि की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद 1.3.2001 को पत्र संख्या 9-559/98-ROC 295 के माध्यम से 4835 वर्ग मीटर वन भूमि पर बस स्टैण्ड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। यह दोनो स्वीकृतियां मूलतः पर्यटन विभाग और एस डी एम धर्मशाला के नाम पर थी । लेकिन प्रदेश सरकार ने वर्ष 2006 में पर्यटन विभाग से एनओसी लेकर परिवहन विभाग की बस स्टैण्ड मैनेजमैन्ट अथॉरिटी को 99 वर्ष की की लीज पर अपने ही स्तर पर दे दिया और राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज भी बदल दिया। जबकि भारत सरकार से 12.11.97 और 1.3.2001 को आये पत्रों में स्पष्ट कहा था कि (1) The legal Status of the forest land will remain unchanged the forest land will be restored to the forest department as and when it is no more required

(2) The forest land will not be used for any other purpose than that mentioned in the proposal. State Govt. will ensure through State forest department the fulfillment of these conditions.

गौरलब है कि यहां पर पार्किंग स्थल बनाने की योजना 1995-96 से चल रही थी और जब वन भूमि का उपयोग बदलने की बात उठी थी तो इस पर दो याचिकाएं 202/95 तथा 171-96 धर्मशाला के अतुल भारद्धाज तथा मुंबई पर्यावरण एक्शन ग्रुप के नाम से सर्वोच्च न्यायालय में डाली गयी थी और इनके कारण 2004 तक यहां कोई निर्माण कार्य शुरू ही नही हो सका था। 7-11-2000 को राज्य सरकार ने यह निर्माण 1307 के आधार पर करवाने का फैसला लिया और 19-11-2003 को इस आश्य का एक विज्ञापन जारी किया जिसके उत्तर में केवल एक ही आवेदन आया जिसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद 13-7-2004 को नये सिरे से आवदेन मंगवाये गये और 13-10-2004 को HP BSM & DA निदेशक मण्डल की बैठक में में प्रशांती सूर्य को यह कार्य BOT में आर्वटित कर दिया। इसका Concession Period 16 वर्ष 7 महीने 15 दिन तय किया गया। इस आंवटन के साथ निर्माण का जो प्लान दिया गया उसके अनुसार इस बहुमंजिला कॉम्लैक्स का एरिया 3680 वर्ग मीटर होना था। इसके नक्शे टीसीपी से स्वीकृत होने थे लेकिन प्रंशाती सूर्य ने इस स्वीकृति के बिना दिसम्बर 2005 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। टी सी पी के पास 4-3-2006 के नक्शे आये इनमें कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिये टी सी पी ने 28-7-2006, 5-10-2006, 27-11-2006, 4-1-2007 और 19-2-2007 को बस स्टैण्ड प्राधिकरण को पत्र लिखे जिनका कोई जबाव नही आया निर्माण कार्य चलता रहा। जबकि टी सी पी ने सैक्शन 39 के तहत चार बार नोटिस देकर निर्माण कार्य बन्द करने के आदेश भी दिये। इस पर 13-4-2007 को जिलाधीश

.....शेष पृष्ठ 8 पर

जे.पी. की समानान्तर सत्ता के आगे सरकारी तन्त्र पड़ा बौना

209 करोड़ की रिकवरी को बट्टे खाते में डालने की तैयारी

शिमला/शैल। प्रदेश का जे पी उद्योग समूह क्या एक समानान्तर सत्ता है जिसके आगे सरकारी तन्त्र एकदम बौना पड़ जाता है। जल विद्युत क्षेत्र और सीमेन्ट क्षेत्र में इस उद्योग समूह का सबसे बड़ा दखल है। इन दोनो ही क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी ऐसी कोई अनियमितता नही हैं जिसके आरोप इस उद्योग पर न लगे हों और उनके लिये स्थानीय लोगों से लेकर मजदूरों तक ने आन्दोलन न किये हों। यह भी रिकार्ड है कि इस उद्योग की अनियमितताओं को लेकर वामदलों के अतिरिक्त कांग्रेस और भाजपा ने कभी आवाज नहीं उठाई है । बल्कि वीरभद्र शासन के 2003 से 2007 के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपे एक आरोप पत्र में जे.पी. के सीमेन्ट प्लांट को लेकर गंभीर आरोप लगाये थे। जिन पर 2008 में सत्ता संभालने पर जांच का साहस तक नही किया। भाजपा के इसी शासन काल में जे.पी. ने प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट का ताना बाना बुना जो प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला आने के बाद रूका। उच्च न्यायालय ने इस प्लांट का गंभीर संज्ञान लेते हुए इस पर एस.आई.टी. गठित की जिसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी है लेकिन उस पर आगे क्या हुआ यह आज तक सामने नहीं आ सका है।

जे.पी. उद्योग 1990 के शांता कुमार के शासन काल में प्रदेश में आया था। शान्ता कुमार सरकार ने उस समय राज्य विद्युत बोर्ड से वसपा परियोजना लेकर इस उद्योग समूह को दी थी। परियोजना देते समय यह तय हुआ था कि इस पर विद्युत बोर्ड जो भी निवेष कर चुका है उसे यह उद्योग 16 % ब्याज सहित बोर्ड को वापिस लौटायेगा। यह परियोजना 2003 से उत्पादन में आ चुकी है लेकिन बोर्ड का पैसा वापिस नही दिया गया है। ब्याज सहित यह रकम 92 करोड़ तक पहुंच गयी थी कैग ने इसको लेकर कई बार सवाल उठाये हैं लेकिन अन्त में सरकार ने यह कह कर यह पैसा इस उद्योग को माफ कर दिया कि यदि यह वसूली कर ली जाती है तो जे.पी. बिजली के रेट बढ़ा देगा। कैग सरकार के इस जबाव से सहमत नही है लेकिन सरकार कैग रिपोर्ट को मानने के लिये ही तैयार नही है।

इसी तरह 900 मैगावाट की कडछम वांगतू परियोजना के लिये जे. पी. उद्योग के साथ अगस्त 1993 में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। नवम्बर 1999 में आईए(I.A) साईन हुआ। मार्च 2003 में भारत सरकार और TEC ने 1000 मैगावाट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसमें 250-250 मैगावाट के चार टरवाईन संचालित होने थे। 6903 करोड़ के निवेश से बनी इस परियोजना ने मार्च 2011 से उत्पादन भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस ईमानदार उद्योग समूह ने 250 मैगावाट क्षमता वाली परियोजना के स्थान पर 300 मैगावाट क्षमता के टरवाईन स्थापित करके इस परियोजना की क्षमता 900 मैगावाट से बढ़ाकर 1200 मैगावाट कर ली। लेकिन इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी। परन्तु मार्च 2011 में इसकी भनक CEA को लग गयी और उसने प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी दे दी। इस सूचना पर प्रदेश सरकार ने जून 2012 में एक तकनीकी जांच कमेटी गठित कर जिसने जून 2013 में सरकार को सौंपी रिपोर्ट में इस सूचना को सही पाया है। प्रदेश की 2006 की विद्युत नीति के तहत यदि कोई परियोजना अपनी क्षमता बढ़ाती है तो उसे बढ़ी हुई क्षमता के लिये नये सिरे अनुबन्ध साईन करना होगा और बढ़ी हुई क्षमता पर 20 लाख प्रति मैगावाट का अपफन्ट प्रिमियम अदा करना होगा। इसी के साथ फी रायल्टी और लोकल एरिया विकास फन्ड भी बढ़ेगा। इस तरह अब इसकी बढ़ी क्षमता का अपफ्रन्ट प्रिमियम 60 करोड़, बढ़ी हुई रायल्टी का 77.73 करोड़ और लोकल एरिया फन्ड का 71.55 करोड़ जे.पी. उद्योग समूह से वसूल किया जाना है। यह कुल रकम 209 .28 करोड़ बनती है जिसकी वसूली का सरकार साहस नही जुटा पा रही है।

क्योंकि इससे पूर्व वसपा की करीब 92 करोड़ की रिकवरी बट्टे खाते में डाली जा चुकी है। अब उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक 209 करोड़ की रिकवरी को भी वसपा में आधार बनाये गये तर्क पर बट्टे खाते में डालने की तैयारी चल रही है। सरकार की नीयत पर इसलिये सन्देह उभर रहा है कि मार्च 2011 में यह सारा घालमेल सरकार के संज्ञान में आ गया था। लेकिन धूमल सरकार ने कारवाई नही की और अब वीरभद्र सरकार को भी सत्ता में आये तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है। जे. पी. के खिलाफ कारवाई नही हुई है इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने स्वभाविक हैं।

सीसीईए द्वारा कैथलीघाट-शिमला बाईपास को 1583.18 करोड की स्वीकृति का स्वागत:जे.पी.नड्डा

शिमला/शैल। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जे.पी. नड्डा ने सीसीईए द्वारा स्वीकृत किए गए परवानू-शिमला चार लेन वाले राजमार्ग के कैथलीघाट -शिमला बाईपास के लिए कुल 1583.18 करोड रू. के बजट को मंजूरी मिलने की बात का सहर्ष रूप से स्वागत किया है।

जे.पी. नड्डा ने इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का धन्यतवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में सड़कों सहित सुदृढ़ परिवहन संपर्क के निर्माण द्वारा देश के प्रत्येक भाग को रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हिमाचल सहित पहाड़ी राज्यों में सड़क संपर्क स्थापित करने पर अधिक बल दे रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह बाईपास कैथलीघाट और शिमला के बीच निर्मित किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पर्यटन शहर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी, शिमला में भीड़भाड़ कम की जा सके और हिमाचल प्रदेश के भीतरी इलाकों का शेष भारत के साथ संपर्क और बेहतर बनाया जा सके। नड्डा ने कहा कि यह काफी प्रगतिशील निर्णय है जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

मंत्री ने कहा कि 1583.18 करोड़ रूपये की परियोजना लागतमें कैथलीघाट-शिमला खंड के बीच सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य और मानव संसाधन शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस वर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए ऐसी और

योजनाएं ला रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहयोग मांगा ताकि सभी बुनियादी परियोजनाओं को लक्षित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। नड्डा ने कहा कि उनके लिए हिमाचल प्रदेश का विकास सबसे अहम है और वे इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

शिमला बाईपास के चार लेन के साथ दो लेन के निर्माण की मंजूरी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर हिमाचल प्रदेश में शिमला बाईपास (कैथलीघाट से शिमला खंड के लिए) के चार लेन के साथ दो लेन के भी निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है।

यह काम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-3 के तहत किया जाएगा। यह अनुमोदन हाइब्रिड एनुइटी मोड में है।

भूमि अधिग्रहण, स्थानांतरण एवं पुनर्वास और निर्माण से पहले की गतिविधियों की लागत सहित इसकी कुल लागत 1583.18 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सड़क की कुल लंबाई लगभग 28 किलोमीटर होगी।

अनुमान लगाया गया है कि राजमार्ग के एक किलोमीटर के निर्माण के लिए 4076 मानव दिवस की जरूरत होगी। इस तरह, इस खंड के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर लगभग 1,11,914 दिनों तक का रोजगार पैदा होगा।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार लाना है, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर कैथलीघाट से शिमला खंड पर चलने वाले यातायात खासकर भारी यातायात के लिए समय और यात्रा की लागत को भी कम करना है।

इस खंड के विकास से राज्य के संबंधित क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इस परियोजना से स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

सभी जातियों व हर वर्ग के नवयुवको, नवयुवतियों, विदूर, विधवा व तलाकशुदा को योग्य जीवनसाथी मिलाने में निरन्तर सफलता हासिल कर रही प्रदेश की एकमात्र विश्वसनीय समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित।

"आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो" पालमपुर केवल दस वर्षो में 8000 से अधिक जोडियां मिलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है।

हमारे पास हर प्रकार के रिश्ते उपलब्ध है। तथा उपलब्ध करवाये जाते है। जरूरतमन्द सम्पर्क करे :-

आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो

इन्द्रपुरी मार्किट नजदीक नया बस अड्डा पालमपुर

दूरभाष : 01894–230260 मोबाईल : 98163–22434

VAR - CHAHIYE

1. Suitable Match For Rajput Girl, 1988, 5-7" , M. Tech. (C.S.) 01894- 230260, 98163- 22434.
2. Suitable Match For Rajput Girl, 1957, 5-2", M.S. D.O. Master of Sargeri (Eye) Working owe Eye Hospital, 01894-230260, 98163-22434.
3. Suitable Match For Rajput Girl, 1990, 5-5", M.Sc. (Botany) B.Ed., 01894-230260, 98163-22434.
4. Suitable Match For Rajput Girl, 1994, 5-1----", B. Com. Doing M.Com., 01894-230260, 98163-22434.
5. Suitable Match For Rajput Girl, 1987, 5-3", Double M.A. (English & Skt.) B.Ed. PGDCA., 01894-230260, 98163-22434.
6. Suitable Match For Choudhary Girl, 1991, 5-4", B.Sc. B.Ed., M.Sc. Chemistry. 01894-230260, 98163-22434.
7. Suitable Match For Rajput Girl, 1989, 5-7", Working as a Teacher. , (Shastri), 01894-230260, 98163-22434.

VADHU - CHAHIYE :-

8. Suitable Match For Brahmin Boy, 1980, 5-7", M.Sc. B.Ed., Chemistry Working own coaching Certre & Chemistry lect. InPut. Institution. Rs. 36000/- per Month, 01894-230260, 98163-22434.
9. Suitable Match For Choudhary Boy, 1949, 5-6", Indian Navy (Retd.) Rs.10,500/- per Month , 01894-23026 098163-22434
10. Suitable Match For Brahmin Boy, 1982, 5-5" MBA (Finance) Working Buisness Development Office Rs. 20,000 per Month, 01894-230260 98163-22434.
11. uitable Match For Brahmin Boy, 1986, 5-6", MBA (Mkt.) Working at Chandigarh, 01894-230260 98163-22434.
12. Suitable Match For Rajput Boy, 1987, 5-11", B.Tech Working Machnical Engineer at Jamu. Rs.35,000/- Per Month, 01894-230260 98163-22434.
14. Suitable Match For Brahmin Boy, 984, 5-9", 10+2, Computer Course Working in Govt. Job Rs. 20,000/- per Month, 01894-230260 98163-22434.
15. Suitable Match For Rajput Boy, 1985, 5-7", 10+2, I.T.I. Working at Baddi, Rs.11,000/- Per Month,01894-230260 98163-22434.

'आप' से निकाले गए वॉलन्टियरों को चेतावनी

शिमला/शैल। आप से निकाले गए सोलन के कुछ वालेन्टियरों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में भ्रामक प्रचार का कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हे चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में आम आदमी पार्टी के बैनर तले कोई भी कार्य किया तो उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आप के जोनल ईन्चार्ज ने स्पष्ट किया कि गत वर्ष महिला प्रभारी नेहा त्यागी से वाद-विवाद होने के कारण केन्द्रीय सह प्रभारी हर्ष कालरा ने सोलन की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया था जिसमें बी. एल गाजटा, आन्नद कुमार चौहान, पवन ठाकुर, रमेश और कुछ अन्य शामिल थे। जोनल ईन्चार्ज डी.एस पथिक ने कहा इन निकाले गए वालेन्टियरों का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नही है। जोनल ईन्चार्ज डी.एस पथिक ने सोलन के संयोजक संजय हिंदवान से निष्कासित वालंटियर की भविष्य में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

RICHA PRINTERS & PUBLISHERS

Contact For all Types of Printing Jobs

Ph.0177-2805015 Mob. 94180-20312

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Sealed item rate tender is hereby invited by the Executive Engineer Mandi Division No. HPPWD , Mandi on behalf of Governor o Himachal Pradesh for the following works from eligible contractors registered in HPPWD /approved Engineering Consultants empanelled with Appropriate authority so as to reach in the office on 06.06.2016 upto 11:00AM. and the same shall be opened on the same day at 11:30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representative. The tender form can be had from this office against the cash payment (Non-refundable) upto 5:00 P.M. on dated 04.06.2016 for which the applications should reach in this office upto 1:00 P.M. on dated 04-06.2016 The tender must be accompanied with earnest money in the shape of NSC/ FDR from any pot office /Bank duly pledged in the name of undersigned . The Tender with out earnest money or in the shape of call deposit shall not be entertained and shall be summarily rejected.

The offer of the tender shall be kept one for 90 The undersigned reserves the right to reject the tender with out assigning any reason. The tender shall be issued to those contractors who are registered under H.P GST Act 1968. In case on 06.06.2016 happens to be holiday the tender will be received an opened on the next working day.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost of Tender form (Rs)	Time Period
1.	Construction of Mini Secretariat-Cum-Combined off ice Building at Padhar Distt. Mandi (HP) (SH: carrying out structural analysis & design including supplying of detailed drawings and estimate of whole project)	7,63,135/-	15,300/-	350/-	Three Months

Terms an Conditions :

1. The contractor shall produce his latest registration/ renewal along with his application seeking for tender form.
2. The conditional or single tender ill be rejected.
3. The offer shall remain valid upto 90 after opening the tender. The tender from wills not be issued to those contractors whose works have been rescinded/earnest money forfeited i.e. defaulter contractor or who hav earlier quoted absurdly below rates forms.
5. The contractor will deposit earnest money at the time of submitting the application for issue of tender forms.
6. The consultants has to submit a certificate with regard to the payment of service tax otherwise no and latest income Tax shall be paid.
7. PAN No. and latest income Tax clearance certificate should be submitted a/w application.
8. The Executive Engineer reserves the right to reject or cancel any of all tenders without assigning any reason.
9. The contractors/firms are requested to quote the rates of each item in works as well as figures an words in schedule of quantity.

Adv. No.-0403/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

चौथे साल में मिला सरकार को PR विभाग का प्रोफेशनल निदेशक, वो भी टैंपोरेरी

शिमला/शैल। सता में आने के पहले दिन से बेहतर जन संपर्क के लिए तरस रही वीरभद्र सिंह सरकार अपने महत्वपूर्ण विभाग सूचना व लोक संपर्क विभाग के लिए चौथे साल में मौटे तौर पर फिलहाल एक प्रोफेशनल निदेशक ढूंढ पाई है। लेकिन अभी वो भी टेंपोरेरी आधार पर ही है। विभाग के पूर्व निदेशक एम पी सूद के रिटायर

होने पर सरकार ने पर्यटन निगम के एमडी दिनेश मलहोत्रा को सूचना व लोक संपर्क विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है।

एमपी सूद को एक साल का सेवा विस्तार देने का कुछ पत्रकारों की ओर से चलाया गया अभियान सफल नहीं हो पाया। वीरभद्र सिंह के सता में आने से अब तक विभाग का निदेशक सूचना व जन संपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का करीबी अफसर रहा। धूमल सरकार में विभाग के निदेशक रहे बीडी शर्मा का सेवा विस्तार खत्म होने पर सरकार ने मुकेश अग्निहोत्री के करीबी अफसर राजेंद्र सिंह को निदेशक बनाया। वो काफी समय तक विभाग के निदेशक रहे। उन्हें मीडिया को संभालने का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। उसके बाद वीरभद्र सिंह के करीबी अफसर राकेश शर्मा को विभाग का निदेशक बनाया गया । लेकिन वो मंत्री का प्रेशर नहीं झेल पाए। हालांकि उन्होंने विभाग को पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ किया।

मंत्री से पटरी न बैठने के बाद मंत्री ने धूमल व खुद के करीबी अफसर एमपी सूद को विभाग के निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जिस तरह प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए था वो पिछले तीन सालों में कभी भी नजर नहीं आया ।

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ऑन लाइन मीडिया को लगातार पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा है। नई पॉलिसी बनी तो उसमें भी ऑन लाइन मीडिया को हाशिए पर ही रखा। जबकि भविष्य ऑन लाइन मीडिया का है जिसमें प्रचार की पूरी ताकत मीडिया हाउस के हाथ में न रहकर जनता या जो प्रचार करना चाहता है उसके हाथ में होती है। अब तक के निदेशकों ने इसे पूरी तरह नजर अंदाज कर रखा है। इसके अलावा भी विभाग के कुछ ही जिम्मेदार अफसर प्रोफेशनली काम कर रहे है। चूंकि बॉस प्रोफेशनल नहीं रहे तो नीचे काम ठीक नहीं चला। हालांकि मंत्री खुद पत्रकार रहे हैं लेकिन कुछ पत्रकारों की जुंडली ही सरकार व सता केंद्र के चारों ओर जमी रही। बाहर ये भी संदेश गया कि सरकार या सता केंद्र चुनिंदा पत्रकारों को ही अहमियत दे रही है। सरकार व सता केंद्र में बैठे लोगों ने अधिकांश तौर पर मित्र पत्रकार को ही अहमियत दी। ऐसे में बहुत से पत्रकार जो कई सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रोफेशनली तौर पर काम कर रहे है, उन्हें ये धंधा गंवारा नहीं लगा वो सरकार के अदारों से दूर छिटकने लगे। इसके अलावा जब सीएम व मंत्री संवाददाता सम्मेलन करते हैं तो उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। सो वो जाते भी नहीं। ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए खतरनाक होती है, जो पिछले तीन सालों में महसूस भी की जाती रही है। आलम ये रहा है कि पीआरशिप की अवधारणा पिछले तीन सालों में तबाह होती नजर आई।

इससे पहले जब बीडी शर्मा निदेशक के पद पर रहे मीडिया से विभाग का व्यापक रिश्ता रहा। दिनेश मलहोत्रा पहले भी विभाग के निदेशक रहे हैं अब देखना हैं कि सरकार के बाकी बचे दो सालों में वो क्या कर पाते है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी मंत्री के साथ पटरी बैठती है या नहीं। चूंकि विभाग सचिव वीसी फारका है तो उनके पास पहले ही समय बहुत कम है। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव होने की वजह से उनके पास पहले ही बहुत काम है। इसके अलावा वो एक अरसे से चीफ सेक्रेटरी बनने के जुगाड़ में लगे है। मीडिया उनकी प्राथमिकता में कम से कम पिछले तीन सालों में रहा ही नहीं। या यूं कहे कि मीडिया उनकी प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं।

हालांकि उन्होंने आज निदेशक का पदभार संभालने के मौके पर विभाग के अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक में उन्होंने समाचारों तथा प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को राज्य के कोने-कोने तक तेजी के साथ पहुंचाने पर बल दिया ताकि प्रदेश के लोगों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो सके।

सूचना सम्प्रेषण में मीडिया के महत्व को इगित करते हुए मल्होत्रा ने अधिकारियों से मीडिया कर्मियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने का आग्रह किया। उन्होंने नियमित आधार पर विभाग का डाटा बैंक अपडेट करने को भी कहा। उन्होंने विभाग में फीचर सेवाओं को और सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इसका प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रकाशन लोगों तक पहुंचने के प्रभावी साधन हैं और अधिकारियों से कहा कि प्रकाशन कार्य में निरन्तरता बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ़ व स्तरोन्नत करने के लिए मीडिया व सूचना के क्षेत्र में प्रयोग की जा रही अद्यतन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतिरिक्त निदेशक आरएस नेगी, संयुक्त निदेशक व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

वीरभद्र की सरकार ने विद्यालयों के भविष्य के साथ खेला है:अनुरागठाकुर

शिमला/शैल। हमीरपूर के सांसद और बीजेवाईएम के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(आरयूएसए) के गलत

कार्यान्वयन के लिए वीरभद्र सरकार को दोषी ठहराया।अनुराग ने कहा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आरयूएसए को जल्दबाज़ी में शुरु किया गया ताकि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से 100 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक राशि प्राप्त कर सके। अपनी लालच के चलते वीरभद्र सरकार ने अपने विद्यालयों के भविष्य के साथ खिलवाड किया है। आज ये विद्यार्थी दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आरयूएसए डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जा रही है। देश के अनेक विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आरयूएसए डिग्री को मान्यता नहीं दे रहे हैं और 2016 में स्नातक करने वाले विद्यालयों तथा आरयूएसए प्रणाली में पंजीकृत हुए सभी वर्तमान विद्यार्थी जो आने वाले वर्षो में स्नातक करेंगे, का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ठाकुर ने रोष व्यक्त करते हुए आगे कहा, मामले को और बदतर बनाते हुए विश्वविद्यालय फीस बढ़ाने और अपने स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए भी आरयूएसए प्रणाली शुरु करने में लगा हुआ है। परिणामों में देरी करने, कुछ मामले में तो 3 वर्षों तक की देरी करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। अब हालत यह है कि यदि तीसरे वर्ष का स्नातक यदि यह जानना चाहे कि उसने पहले वर्ष का पाठयक्रम पूरा किया है या नहीं, तो उसे वापस जाना होगा और इन पाठयक्रमों को दोबारा पूरा करने के लिए अतिरिक्त वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। वीरभद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा कि जल्दबाजी में कार्यान्वयन करने की ऐसी क्या वजह थी?

100 करोड़ के वार्षिक अनुदान की ऐसी कौन सी अत्यावश्यकता आ गई थी? क्या विद्यालयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ज़रूरी था? ठाकुर संसद में भी इस मामले को उठाने वाले हैं। उन्होंने एचआरडी मंत्रालय से अनुरोध किया है कि आरयूएसए के कार्यान्वयन, परिणामों में देरी और एचपीयू द्वारा फीस बढ़ाने के मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे। इसके अलावा, चूँकि आरयूएसए के स्नातक पूर्व विद्यालयों की पहले बैच का शैक्षणिक सत्र समाप्त होने को है, वे एचआर डी मंत्रालय के साथ बातचीत कर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ और अन्य विश्वविद्यालयों को तुरंत दिशा निर्देश जारी किए जा सकें ताकि जब तक मामले को सुलझाया नही जाता, एचपीयू के विद्यालयों को प्रवेश मिल सके।

वनों की आग को लेकर विभाग को कठोर दिशा निर्देश

शिमला/शैल। ठाकुर सिंह भरमौरी, वन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने वनों की आग को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को कठोर दिशा निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के श्रेत्रीय व वन्य प्राणी के अरण्यपाल व वन मण्डलाधिकारी एवं

अन्य कर्मचारी वनों की आग को बुझाने में हर सम्भव प्रयास करें। उन्होंने आदेश दिये हैं कि सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में जंगलों के नजदीक रहें तथा आग लगने की सूचना मिलने पर तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आह्वान किया है कि वनों की आग की रोकथाम हेतु वन विभाग का सहयोग करें। उन्होंने विभाग को आदेश दिये हैं कि वे चौबीस घण्टे किसी न किसी व्यक्ति को नियन्त्रण कक्ष में नियुक्त करें, जिससे वन की अग्नि की सूचना बिना किसी विलम्ब से क्षेत्रिय कर्मचारियों को दी जा सके एवं तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

वन मंत्री ने कहा कि आग से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा फायर लाईन बनाई गई हैं तथा फायर वाचर नियुक्त किये गये हैं। जो फायर वाचर नियुक्त किये गये हैं वो जंगल के नजदीकी गांव के हैं, जिससे वो जंगलों में आग की सुचना दे सके तथा बचाव कार्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से तुरन्त कर सकें।

ठाकुर सिंह भरमौरी ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल व मुख्य अरण्यपाल (वन अग्नि सुरक्षा) को निर्देश दिये कि सभी वृतों के अरण्यपालों व वन मण्डलाधिकारियों के सम्पर्क में रहें जिससे वनों की आग से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने वन अधिकारियों को कहा कि वनों की आग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं सीधे उन्हें दें तथा वन अग्नि व अवैध कटान की रोकथाम हेतु कोई भी कोताही न वरतें अन्यथा सम्बन्धित अरण्यपाल व वन मण्डल अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। – महात्मा गांधी –

सम्पादकीय

जांच ऐजैन्सीयों की विश्वसनीयता

भ्रष्टाचार से देश का आम आदमी कितना और किस कदर आहत है इसका प्रमाण जनता ने 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को एक तरफा समर्थन देकर दे दिया है। लेकिन इस भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिलेगा? भ्रष्टाचारियों को सजा कब मिलेगी? भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और निडर जांच कौन करेगा? यह सवाल केन्द्र में हुए इतने बड़े सत्ता परिवर्तन के बाद और भी जटिल और गंभीर हो गये हैं क्योंकि मालेगांव और ईशरत जहां जैसे बडे मामलों पर आज हमारी जांच ऐजैन्सीयों का जो चेहरा सामने आया है उससे जांच ऐजैन्सीयां की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल और संकट खड़ा हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि जांच ऐजैन्सीयां तब सही थी। या आज सही हैं। अभी हैलीकाप्टर खरीद घोटाला सामने आया है। इसमें इटली की अदालत घूस देने वालों को सजा दे चुकी है। इस सौदे के लिये घूस दी गयी थी यह प्रमाणित हो चुका है। घूस देने वाले कौन हैं उनकी पकड़ और पहचान की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लेकिन इन घूसखोरों के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कारवाई करने की बजाये उस पर राजनीति शुरू हो गयी है। इस राजनीति में इटली के प्रधानमन्त्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच सांठगांठ होने तक के आरोप लग गये हैं। इन आरोपों से एक तरह से इटली की न्यायव्यवस्था पर भी सवाल उठ गये हैं। जो भी वस्तुस्थिति इस पूरे प्रकरण में अब तक उभर चुकी है उससे लगता है कि निकट भविष्य में इस घूस कांड पर से पर्दा उठना संभव नही है।

भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामलें आज तक सामने आये हैं उनमें बहुत कम पर सजा हुई है। बल्कि जिन मामलों में बड़े राजनेताओं की संलिप्तता सामने आती है उन मामलों में कारवाई भी उनके राजनीतिक कद के मुताबिक ही सामने आती है। जयललिता और मायावती के मामले इसके बड़े प्रमाण है। आज मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे अन्ना के आन्दोलन का ही प्रतिफल है लेकिन क्या अब तक भ्रष्टाचार के मामलों पर राजनीति के अतिरिक्त और कुछ हो पाया है? मालेगांव और ईशरत जंहा मामलों में जहां आरोपों की सूई संघ से प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष ताल्लुक रखने वालों की ओर घूमी थी आज उस सूई का रूख मोड़ कर जांच ऐजैन्सी की विश्वसनीयता को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है।

यदि मालेगांव और ईशरत जहां मामलों में अब हुए खुलासे सही है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ अब तक कारवाई करके उन्हें अदालत से दण्डित नहीं करवा दिया जाता है तब तक इन खुलासों पर विश्वास कर पाना कठिन होगा। क्योंकि आज मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रीयों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बड़े मामले चर्चा में हैं जिन पर हो रही कारवाई से देश की जनता कतई संतुष्ट नही है। बल्कि यह हो रहा है कांग्रेस के घोटाले को भाजपा के घोटाले से बड़ा /छोटा प्रमाणित करने की राजनीतिक कवायद हो रही है।

ऐसे में आज मोदी सरकार की देश को यही बड़ी देन होगी यदि देश की सारी जांच ऐजैन्सीयों को केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रभाव/दबाव से मुक्त रखने की कोई व्यवस्था कर पाये। क्योंकि जो जांच अधिकारी मामले की जांच शुरू करता है मामले का चालान अदालत तक ले जाने तक वह मामले से अलग हो चुका होता है । जब तक जांच अधिकारी को जांच से लेकर अदालत तक उसे सफल बनाने की जिम्मेदारी से बांध कर नही रखा जाता है तब तक भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नही आयेगी और न ही सरकारों तथा जांच ऐजैन्सीयों की विश्वसनीयता बन पायेगी। क्योंकि आज जिसकी सरकार उसी की जांच ऐजैन्सी वाली धारणा बनती जा रही है। यह धारणा कालान्तर में देश के लिये अति हानिकारक सिद्ध होगी।

आरक्षण आयोग की आवश्यकता

पिछले सप्ताह दो निर्णय लगभग एक साथ सामने आए। पहला – मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए पदोन्नति में आरक्षण के एक पुराने कानून को खारिज कर दिया गया, दूसरा – गुजरात सरकार का, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। एक फैसला न्यायालय का और दूसरा कार्यपालिका का, दोनों आरक्षण से संबंधित, किंतु यदि बारीकी से गौर किया जाए तो ये फैसले न सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था में विद्यमान जटिलताओं को उजागर करते हैं, अपितु देश की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही नई प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत करते हैं। इनके साथ – साथ अगर गुजरात में पाटीदार समाज तथा हरियाणा में जाट समाज द्वारा आरक्षण की मांग के लिए चलाए गए उग्र आंदोलनों को भी देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि देश इस वक्त एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है और सामाजिक न्याय की दिशा में उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, यह समझ नहींआ रहा है। – ललित सुरजन –

आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कहीं जाती हैं। किंतु इतना तय है कि कोई भी राजनैतिक दल किसी भी समाज द्वारा की गई आरक्षण की मांग को सीधे – सीधे खारिज करने की स्थिति में नहीं है। अपने मूल रूप में आरक्षण का प्राव आरक्षण आयोग की आवश्यकताान समाज के दो सबसे ज्यादा वंचित, शोषित और अन्याय के शिकार वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था। जैसा कि हमें पता है, प्रारंभ में यह प्रावधान मात्र दस वर्ष के लिए था, लेकिन इसे बाद में लगातार बढ़ाया जाते रहा। कालांतर में मंडल आयोग की अनुशंसा के अनुरूप अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जो वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वे सामान्य तौर से साधन – संपन्न तबके माने जाते हैं तथा पारंपरिक सोच कहती है कि इन्हें आरक्षण देना उचित नहीं है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि देश के सामाजिक – आर्थिक ढांचे में इस बीच काफी बदलाव आया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण आरक्षण की मांग इस बिना पर करते हैं कि उनकी स्थिति त्रिशंकु की हो गई है। वे अन्य सवर्णों की भांति साधन – संपन्न नहींहैं और दूसरे वे एससीएसटी श्रेणी में भी नहीं आते, इस कारण वे चाहे – अनचाहे अन्याय का शिकार हो रहे हैं। उनकी शिकायत अपनी जगह पर सही है। किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी तकलीफों के लिए वे दलित – आदिवासी पर दोषारोपण करते हैं, किंतु अपने ही साधन – संपन्न भाई – बंधुओं से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। यही स्थिति आरक्षित वर्गो को पदोन्नति के मामले में देखने मिलती है। बहुत से लोग सरकारी नौकरी के पहले पायदान पर आरक्षण को मन मारकर स्वीकार कर लेते हैं। किंतु उन्हें जब पदोन्नति मिलती है तो उसे वे न्यायोचित नहीं मानते। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू करने के बाद भी आरक्षित वर्ग अपनी जाति और जन्म का अनुचित लाभ उठाते हैं, यह शिकायत भी बारहा सुनने मिलती है।

दरअसल विगत तीन – चार दशकों से जो आरक्षण नीति चली आ रही है, उसमें समय की वास्तविकताओं के साथ जो संशोधन होने चाहिए थे, उन्हें लागू करने से हमारे सत्ताधीश कतराते रहे हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो इस वास्तविकता का संज्ञान लेना आवश्यक है कि देश में विकास योजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर लगातार विस्थापन हो रहा है। एक समय था जब बड़े बांधों और कारखानों के लिए विस्थापन हुआ, जिससे प्रभावित होने वाली जनसंख्या मुख्यत: आदिवासियों की थी। चूंकि नेहरू युग में जनता के मन में एक विश्वास था इसलिए लोगों ने खुशी – खुशी अपनी जमीनें दे दीं, किंतु जिन नौकरशाहों पर मुआवजा और पुनर्वास की जिम्मेदारी थी, उसे उन्होंने ठीक से नहीं निभाया। आज भी ऐसे विस्थापित आदिवासी मिल जाएंगे जो 55 – 60 साल से खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक चतुर, संपन्न तबके ने इन विकास योजनाओं का लाभ अपने लिए लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।

विकास के दूसरे दौर में जो औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, उसने अच्छे खाते – पीते किसानों को उनकी धरती से बेदखल कर दिया। इस तबके में राजनीतिक चेतना थी और हिसाब – किताब की समझ भी इसलिए उन्होंने मुआवजा तो ले लिया, पर यह सवाल अपनी जगह पर है कि मुआवजे की यह रकम कब तक काम आएगी, तथा किसान की दूसरी – तीसरी पीढ़ी क्या करेगी। गुडगांव से लेकर नया रायपुर तक हमने देखा है कि किसानों ने मुआवजे की राशि झूठी शान – शौकत तथा गैर – अनुत्पादक कामों में खर्च कर दी। आज अगर ये लोग अपने बच्चों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं तो उसे एकबारगी गलत नहीं माना जा सकता, भले ही यह सिर्फ एक भरम क्यों न हो।

यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एक ओर तो सार्वजनिक क्षेत्र के पुराने कारखानों का विनिवेश हो रहा है और नए कारखाने नहीं लग रहे। अर्थव्यवस्था के सूत्र धीरे – धीरे कर निजी क्षेत्र को सौंपे जा रहे हैं। सरकार ने तो स्कूल और अस्पताल तक से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में नौकरियां अगर कहीं मिल सकती हैं तो सिर्फ निजी क्षेत्र के उद्यमों में। जो तथाकथित योग्यता का सुर अलापे रहता है और अपने व्यवसाय में आरक्षण नीति लागू करने में जिसे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। यह तथाकथित योग्यता कैसी है इसे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एक – एक करोड़ डोनेशन देकर डॉक्टर बनने वालों में देख रहे हैं। इसी तरह निजी बैंकों में अगर कोई धनिक अच्छी – खासी राशि जमा करे तो उसके बच्चे को बैंक में नौकरी मिल जाती है। मतलब यह है कि पैसा देकर करवाया गया आरक्षण योग्यता कहलाती है और जो सचमुच सदियों से और दशकों से मुश्किलें झेल रहे हैं वे अपने आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं।

हमारी दृष्टि में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को कानूनन लागू किया जाए। दूसरे, आरक्षण में जाति और जन्म का जो बुनियादी आधार है उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि आदिवासी और दलित को सदियों के शोषण और अन्याय से उबर कर आत्मविश्वास हासिल करने में अभी समय बाकी है। आज भी उनके साथ आए दिन अपमान व तिरस्कार का व्यवहार होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। तीसरे, विकास के नाम पर जिन किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उन्हें नगद मुआवजे के अलावा मुकम्मल नौकरी तथा स्थानीय उद्यमों में लाभ में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए। इन सारे प्रश्नों पर समग्र विचार करने के लिए बेहतर होगा कि सरकार एक आरक्षण आयोग का गठन करे, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के लिए निर्णय लिए जा सकें।

साभार www.deshbandhu.co.in से

गांधीवादी अर्थव्यवस्था

गांधी जी ने राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक या जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनका आधार कोई स्वरचित ग्रन्थ नहीं था वरन् वह मानवतावादी विचारक थे। भारतीय निर्धनों की दशा से द्रवित होकर उन्होने समय -समय पर जो भी विचार प्रतिपादित किये वे उनकी आर्थिक योजनाओं तथा अर्थव्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। गांधी जी, अन्य विचारकों के समान अपने समय की अर्थव्यवस्था से असन्तुष्ट थे क्योंकि तत्कानील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा उसकी उत्पादन क्षमता सामाजिक जीवन की आवश्कयताओं को पूरा करने में असमर्थ थी और आज भी है। गांधीजी पूंजीवाद को शोषण पर आधारित व्यवस्था बताते हैं। इसलिए, वह सरल अर्थव्यवस्था प्रतिपादित करने के समर्थक थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या हम गांधीजी के निम्मलिखित विचारों के आधार पर कर सकते है।

रोटी के लिए श्रम का सिन्द्धात (Bread Labour) सर्वप्रथम हम गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित **रोटी के लिए श्रम का सिन्द्धात** की व्याख्या करेंगे। यह सिन्द्धात **'जो कार्य नहीं करेगा वह खायेगा भी नहीं'** का सिन्द्धात है। गांधी जी का कहना है कि जीवन में रोटी मुनष्य की अनिवार्यतम आवश्यकता है और वह कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है। अत: जो व्यक्ति बिना उपयुक्त श्रम के भोजन करता है वह चोर है। वह व्यक्ति जो आधुनिक सभ्यता के आवरण में अपनी आवश्यकताएं बढ़ाए जाते है तथा स्वयं शारीरिक श्रम नहीं करते वे अन्य व्यक्तिों (गरीबो) का शोषण करते हैं। गांधीजी शारीरिक श्रम को अधिक महत्व देते हैं। उनका विचार था कि शारीरिक श्रम करने वाला मेहनती ईमानदार तथा चरित्रवान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के निजि परिश्रम से तथा खाने की वस्तु का उत्पादन करने से आर्थिक समानता की नींव पड़ेगी । यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें उनका शारीरिक श्रम लगता हो जैसे कताई, बुनाई, काष्ठकला तथा अन्य हस्त कलाएं।

गांधी जी शारीरिक श्रम को प्राकृतिक नियम मानते थे। जिस तरह मानसिक भूख को शांत करने के लिए लौकिक कार्य किये जाते हैं उसी प्रकार शरीर की भूख रोटी से शान्त होती है। गांधी जी का मामना है कि बौद्धिक या मानसिक श्रम करने वाले को भी शारीरिक श्रम करना चाहिए उसके द्वारा ही वह अपनी बौद्धिक प्रतिभा को अधिक विकसित कर सकता है। यह श्रम ऐच्छिक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं, क्योंकि इसकी अनिवार्यता व्यक्ति को असन्तुष्ट बनाए रखेगी ।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था: गांधी जी आधुनिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताते थे तथा वह इसके विरूद्ध थे। इस प्रणाली में कुछ बडे-बडे धनाढ्य व्यक्ति अपनी पूंजी का उपयोग बडी बडी मशीनों में लगाते है और मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। पूंजीपति उन कारखानों में कार्यरत मजदूरों का शोषण करते है। उद्योगों का संचालन मुटठी भर पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता है उन्ही के हाथों में समाज का धन भी केन्द्रित हो जाता है । धन का असमान वितरण और संचय होने से शोषण, भूखमरी और आर्थिक विषमता बढ़ती चली जाती है। पूंजीपति अपने कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा निर्मित माल की मंडिया प्राप्त करने के लिए साम्राज्य निर्माण में प्रवृत हो जाते हैं। राज्य इसी प्रवृत्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं, इससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, अशांति और महायुद्ध उत्पन्न होते हैं।

विकेन्द्रीकरण: गांधी जी ने आर्थिक क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकरण के सिन्द्धात का प्रतिपादन किया है वह आर्थिक क्षेत्रों में धन के संकेन्द्रीकरण को सब बुराईयों की जड़ मानते थे। अत: आदर्श अहिंसात्मक राज्य में अर्थव्यवस्था को परिवर्तित किया जाएगा और उत्पादन के साधन पर जनसमूहं का स्वामित्व होगा तथा ईश्वर प्रदत प्राकृतिक साधनों पर सामूहिक रूप से समाज का आधिपत्य होगा। उत्पादन का विकेन्द्रीकरण ही इस समस्या का समाधान होगा। रक्तिम क्रान्ति उसे समाप्त नही कर सकती ।

गांधीजी आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रीकरण को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते है। अत: आर्थिक दृष्टि से ग्रामों को स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। गांधीजी **'हिन्द स्वराज'** नामक ग्रन्थ में अपने आदर्श ग्राम स्वराज्य का चित्रांकन करते हुए बताते है कि उसमें प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य होगा वह अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर नही होगा वरन उनका उत्पादन करेगा। प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। ग्राम का शासन पंचायत द्वारा संचालित किया जायेगा और इस व्यवस्था का मूलाधार व्यक्ति स्वातंत्रय होगा। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम अपने शासन उत्पादन, वितरण आदि का स्वयं स्वामी होगा।

केन्द्रीय उत्पादन को सुधारने के लिए गांधीजी ने व्यक्तिगत स्वामित्व को उस समय तक उचित बताया है जब वे श्रमिकों का स्वर इतना उठाये कि उन्हे अपना भागीदार समझे श्रमिक और पूंजीपति सम्पति को अपने पास धरोहर समझे। यदि वे ऐसा नहीं समझते तो उन पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। राज्य का कारखानों में स्वामित्व हो जाने पर भी श्रमिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधों द्वारा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्रबन्ध में हाथ बटायेंगे।

भारत की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए गांधीजी ने कुटीर उद्योग, ग्रामद्योग एवं स्वदेशी पर विशेष जोर दिया है घर-घर में स्त्री पुरूष और बच्चे सभी कताई-बुनाई करेंगे तो उससे एक ओर नागरिको की बेकारी दूर होगी, दूसरे उन्हे पर्याप्त धन मिल जाता है और उनके जीवन के आर्थिक व्यवधान दूर हो जाते हैं स्वदेशी का महत्व देश को आत्म-निर्भर बनाता है अपनी आवश्यकाओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों का मुहं नही ताकना पड़ता है। गांधीजी गांवों में मशीनों के प्रयोग के पक्ष में थे। परन्तु उन्हें शोषण करने के लिए नही किया जाएगा। ग्रामीण मशीन के यदि दास नहीं बनेगे तो उनका प्रयोग वर्जित नही होगा।

आर्थिक समानता का सिन्द्धात: सामाजिक जीवन में न्याय लाने के लिए आर्थिक समानता एंव स्वतन्त्रता स्थापित करनी चाहिए। गांधीजी का मानना था कि आर्थिक समानता का अर्थ सह नहीं कि हर को अक्षरश: उसी मात्रा में कोई चीज मिले बलिक प्रत्येक एक को अपनी आवश्यकता के लिए काफी मात्रा में मिले गांधी जी का आर्थिक समानता का अर्थ था कि **सबको अपनी-अपनी जरूरत के अनुसार मिले, मार्क्स की व्याख्या भी यही है यदि अकेला आदमी भी उतना ही मांगे जितना स्त्री और चार बच्चों वाला व्यक्ति मागें तो यह आर्थिक समानता के सिन्द्धात का भंग होगा। गांधीजी का आर्थिक समानता का सिन्द्धात प्रत्येक को सतुलित भोजन, रहने का अच्छा मकान, बच्चो को शिक्षा और दवा की मदद का है।**

वितरण का प्राकृतिक सिन्द्धात: गांधीजी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही वस्तुओं को प्राप्त करना चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना चोर प्रवृति है। मनुष्य की अधिक से अधिक सग्रंह करने की प्रवृति ही निर्धनता और विषमता उत्पन्न करती हैं क्योकि अधिक सग्रंह करने पर वह न तो उस व्यक्ति के प्रयोग में आती है और न ही अन्य व्यक्ति उसका लाभ उठा सकते है। सम्पति का कुछ हाथों में सीमित हो जाना विकास में बाधक होता है तथा पतन को आमंत्रित करता है। अत: गांधीजी ने न्याय युक्त वितरण के लिए प्रकृति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकाएं पूरी करने के समान अवसर उपलब्ध हों। प्रकृति उतनी ही वस्तु उत्पन्न करती है जितनी की आवश्यकता होती है।

गांधी जी ने **धन के समान बंटवारे के लिए दैनिक आवश्यकताओं को कम से कम करने पर जोरे दिया है।** गांधीजी ने लिखा है **अब हम इस बात का विचार करे कि अहिंसा के द्वारा समान वितरण कैसे कराया जा सकता है? इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि जिसने इस आदर्श को अपने जीवन का अंग बना लिया है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में तदानुसार जरूरी परिवर्तन करेगा।** भारत की दरिद्रता को ध्यान में रखते हुए वह अपनी जरूरतें कम कर लेगा उसकी कमाई बेईमानी से मुक्त होगी। जीवन के हर क्षेत्र में वह संयम का पालन करेगा। जब वह अपने ही जीवन में जो कुछ हो सकता है वह सब कर लेगा तभी वह इस स्थिति में होगा कि वह अपने साथियों और पडोसियों में इस आदर्श का प्रचार करेगा।

समान वितरण के लिए संरक्षकता या प्रन्यास पद्धति : गांधीजी ने आर्थिक क्षेत्र्स में विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए पूंजीपतियों के लिए न्यास या प्रन्यास की विचार धारा का प्रतिपादन किया हैं उन्होनें लिखा है **''अगर धनवान लोग अपने धन का और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी -खुशी से छोडकर और सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर बरतने को तैयारे न होगें, तो यह समझिए कि हमारे देश में हिंसक और खूंखार क्रान्ति हुए बिना न रहेगी।''**

समान वितरण का सिद्धांत कहता है कि अमीरों को अपने पडोसियों से एक रूपया भी अधिक नही रखना चाहिए। यह सब कैसे किया जाये? अहिंसा के द्वारा या धनवानों की सम्पति छीनकर? सम्पति छीनने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से हिंसा का आश्रय लेना पडेगा। यह हिसंक कार्यवाही समाज को लाभ नही पहुंचा सकती। समाज उल्टा घाटे में रहेगा क्योंकि वह उस आदमी के गुणों से वंचित हो जायेगा जो धन इकटठा करता है। इसलिए अहिसक उपाय स्पष्ट ही श्रेष्ठ है। धनवान आदमी के पास उसका धन रहने दिया जाएगा परन्तु उसका उतना ही भाग वहअपने काम में लेगा जितना उसे अपनी जरूरतों के लिए उचित रूप में चाहिए, बाकी को वह समाज के उपयोग के लिए धरोहर (संरक्षक) समझेगा।

गांधी जी का मत था कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विषमता को मिटना आवश्यक है यह विषयमता दो प्रकार से मिटाई जा सकती है। एक साम्यवादी-उपाय से जो पूंजीपतियों की सम्पति छीन कर क्रान्ति द्वारा समानता लाना चाहते है। गांधीजी क्रान्ति के द्वारा समानता के पक्ष में नही थे। दूसरा उपाय है कि पूंजीपति स्वेच्छा से अपनी सम्पति दूसरों के हित के लिए प्रयोग करें। अत: गांधी जी साम्यवादी नीति के स्थान पर प्रन्यास (न्यास) सिद्धांत के समर्थक थे।

प्रन्यास सिद्धांत विशुद्ध भारतीय है। गांधीजी ने इसकी व्याख्या **वेदान्त और ईसाई धर्म** की मान्यताओं के अनुसार की है। **हिन्दु धर्म** के अनुसार सम्पति एक पवित्र प्राप्ति है। यह उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो उसे सामान्य हित के लिये प्रयोग करे।

यह विचारधारा **गीता के अपरिग्रह** (Non - possession) सिद्धान्त के अनुकूल है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य अपने पास अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संचय ना करे। यह सिद्धान्त **ईशावास्योपनिषद्** के प्रथम भाग के अनुकूल है जिसके अनुसार ईश्वर ही सम्पति आदि सभी वस्तुओं का उत्पादन है। यदि किसी के पास इससे अधिक सम्पति है तो उसे वह अपनी ना समझकर ईश्वर या समाज की समझनी चाहिए। संग्रहकर्ता को ईश्वरीय दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को अपने साथियो की सेवा में लगाकर उन्हे देवार्पण करनी चाहिए। सम्पति का त्यागपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।

गांधी जी का प्रन्यास सिद्धान्त पूर्णत: अहिंसात्मक है। वह साध्य और साधन में उचित सम्बन्ध रखना चाहते थे। उचित साधनो द्वारा ही उचित साध्य होता है। हिंसा के अनुचित साधनों द्वारा जो समानता लाई जाएगी वह हितकारी नहीं हो सकती और न ही स्थायी। यदि पूंजीपति हृदय परिवर्तन करके अपनी ही अतिरिक्त सम्पति तथा कारखानों आदि का न्यासी मान लेता है तो यह अहिंसात्मक है।

गांधीजी ने संरक्षकता (ट्रस्टीशिप) के सिद्धान्त के असफल होने पर मजदूरों द्वारा असहयोग और सविनय अवज्ञा का सुझाव दिया है। गांधीजी कहते हैं **''यदि भरसक कोशिशों के बावजूद धनवान लोग सच्चे अर्थ में निर्धनों के संरक्षक ना बनें, और गरीबों को अधिकाधिक कुचला जाए और वे भूखे से मरे, तो क्या किया जाए? इस पहेली का हल ढूंढने के प्रयत्न में मुझे अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा भंग का सही और अचूक उपाय सूझा है। धनवान लोग समाज के गरीबों के सहयोग के बिना धन संग्रह नहीं कर सकते। यदि ज्ञान गरीबों में प्रवेश करके फैल जाए तो वे बलवान हो जायेंगे और अहिंसा के द्वारा अपने आप को उन कुचलने वाली असमानताओं से मुक्त** करना सीख लेंगे। जिन्होने उन्हें भूखमरी के किनारे पहुंचा दिया है।

इस विचारधारा के अनुसार पूंजीपतियों को अपनी सम्पति समाज की धरोहर समझने के लिए समझाना चाहिए। वे उस समाज की धरोहर में से जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ले सकते हैं। शेष धनराशि को समाज के हितकारी कार्यों में लगा देना चाहिए इसका अर्थ यह नहीं है कि वे उस सम्पति को निर्धन व्यक्तियों में बांट दें। क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो निर्धन उसका दुरूप्योग करेंगे और इस प्रकार वितरण करने से सम्पति उपभोग में आकर शीघ्र नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति स्वावलम्भी बनकर धन कमाने में उदासीन रहेंगे। उस सम्पति को ऐसे, उद्योग धन्धों में लगाया जाना चाहिए, जिससे जनसाधारण को रोजगार मिल सके अथवा उत्पादन बढ़ा कर सार्वजनिक हित की वृद्धि की जा सके। मार्क्सवादी तथा अन्य विचारक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि धनी लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी सम्पति का त्याग कर देंगे किन्तु गांधीजी को मानवीय प्रकृति की उदारता, दिव्यता तथा सुधार में अगाध विश्वास था। उनकी धारणा थी कि प्रारम्भ में दो-चार साधु स्वभाव वाले पूंजीपति कर्त्तव्य भावना से प्रेरित होकर इस सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे, बाद में अन्य पूंजीपति भी उनकी प्रेरणा ग्रहण करके उनका अनुसरण करने लगे। फिर भी यदि वह स्वेच्छापूर्वक अपनी सम्पति का परित्याग करने को तैयार ना हो तो अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह के बह्मास्त्र से उन्हें विवश किया जा सकता है।

यह कहा जा सकता है कि गांधी जी का प्रन्यास सिद्धान्त विश्व को भारत की देन है। उनके अनुयायी विनोवा भावे के भूदान आन्दोलन द्वारा गांधी जी के प्रन्यास सिद्धान्त को क्रियान्वित करते हुए हजारों एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को दिलवाई। यह सही है कि प्रन्यास सिद्धान्तों को अपनाकर आर्थिक समानता और शोषणविहीन समाज की स्थापना की जा सकती है: पर सत्य यह है कि कोई भी पूंजीपति कभी भी अपनी सम्पति को समाज की धरोहर नहीं समझ सकता। यदि एकाध पूंजीपति इस सिद्धान्त का अनुसरण कर भी ले तो पूंजीवाद समाप्त नहीं हो जाएगा। शायद गांधीजी पूंजीपतियों की सही प्रवृति को पहचान नहीं सके। सम्पति को पूंजीपतियों के नियन्त्रण और निर्देशन में रखने से उनका लाभ आम जनता को मिल जाएगा, ऐसी आशा रखना सदैव निराशाजनक ही रहा है। पूंजीपति हमेशा से शोषक रहे हैं और कुछ गिने चुने चन्द पूंजीपतियों के उदाहरण से सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। सम्पति के जनहितकारी उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि पर प्रभावशाली नियन्त्रण और निर्देशन, तथा जागरूक शासन की शक्ति होना आवश्यक है।

हैलीकाप्टर घोटाले पर अनुराग का कांग्रेस पर हमला

शिमला/शैल। हमीरपुर से भाजपा सांसद और अध्यक्ष BJYM अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार से भरपूर अगस्टावेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले के लिए कांग्रेस पर जमकर बरसे। लोकसभा मेंचर्चा करते हुए, अनुराग ने कहा,'एक तरफ, हमें हिमाचली लोगों की ताकत और साहस देखने को मिलता है, भले वो युद्ध हो या ज्यादा से ज्यादा वीरता पुरस्कार जीतना हो, और दूसरी ओर, हमें त्यागी (पूर्व एयर चीफ मार्शल) और त्याग की देवी (सोनिया गांधी का हवाला देते हुए) के भ्रष्टाचार की कहानियां देखने को मिलती हैं। पूर्व एयर चीफमार्शल, एस.पी. त्यागी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी परअगस्टावेस्टलैंड के 12 VVIP हेलीकॉप्टरों के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए 360 करोड़ रुपये की घूस लेने की गुप्त सूचना है।

जब इस मामले की जांच कर रही इतालवी अदालत ने अपना फैसला दिया तोअगस्टावेस्टलैंड घोटाला सबके सामने आया।इसमें सोनिया गांधी, उनके राजनैतिक सचिव अहमद पटेल,पूर्व एयर चीफमार्शल एस.पी. त्यागी और तत्कालीन रक्षामंत्रालय पर इतालवी अदालत के साथ सहयोग नहीं करने और उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपने का आरोप लगाया है। इस मामले की तुरंत सीबीआई जांच शुरू किए जाने के कांग्रेस के दावे का जवाब देते हुए, ठाकुर ने कहा, 'अध्यक्ष महोदया, CBI जांच शुरू हुई, 9 महीने तक ED को FIR नहीं भेजी। ED ने 8 महीने तक जांच शुरू नहीं की। केवल 12 मई 2014 को,जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उन्होंने काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की। यह एनडीए सरकार थी जिसने आदेश को अंतिम रूप दिया, ED जांच शुरू की, इतालवी अदालत के साथ सहयोग किया और बिचौलियों के लिए रेडकॉर्नर नोटिस जारी किया। मैं रक्षा मंत्री जी से कार्रवाई में तेजी लाने और घूसखोरों को सलाखों के पीछे भेजने का भी अनुराध करता हूँ।'

आगे अनुरागठाकुर ने कहा,'कांग्रेस का हमेशा यही नारा रहाहै, 'खाओ और खाने दो', जबकि मोदी सरकार का नारा है 'ना खायेंगे ना खानेदेंगे।'कांग्रेस का भ्रष्टाचार पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे पहुंचा हुआ है और परिवारों में फैला हुआ है तथा यह उनके सभी घोटालों को दिखाता है।अगस्टावेस्टलैंड का घोटाला कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मामलों में से केवल एक है और उनके 'पहले परिवार,उसके बाद पार्टी और सबसे बाद में राष्ट्र' के तरीके को दर्शाता है । अगस्टावेस्टलैंड का घोटाला इटली के लिए कांग्रेस के प्यारऔर गहरे संबंध को दिखाता है। किस बात को लेकर कांग्रेस ने अगस्टावेस्टलैंड को ठेका दिया? देश जवाब चाहताहै। शुरुआत मेंही घूस ले ली गई थी और पहले दिन से कांग्रेस ने अगस्टावेस्टलैंड को ठेका देने का फैसला कर लिया था और हर मुमकिन इंतजाम किया था । उन्होंने एक 'संविदा मोल भाव समिति' का गठन किया या एक 'दलाली मोल भाव समिति' का गठन किया? कांग्रेस और अगस्टावेस्टलैंट के बीच मुलाकात काअसली सबब क्या था?'

Shri.Virbhadra Singh
Hon'ble Chief Minister

HIMACHAL PRADESH
STATE INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CORPORATION

HPSIDC

Shri.Mukesh Agnihotri
Hon'ble Industries Minister

INVITES ENTREPRENEURS

for setting up of small, medium and large scale Industrial projects including Tourism ventures in the State of HIMACHAL PRADESH

- Develops industrial infrastructure & industrial estates and undertakes all kinds of civil/construction works.
- Provides term loan assistance upto Rs.500.00 lacs to Industrial ventures at most competitive rates (12% with 0.5% rebate for timely payments).
- Undertakes sale of sick "taken over" industrial units on attractive terms.
- First Organization the State to initiate e-procurement solutions.
- New initiative to set up small industrial units for small & marginal farmers
- Expertise in Civil construction works
- Provides "Escort services" of varied nature to entrepreneurs for such matters as securing registrations/licenses/clearances etc. from statutory authorities.
- Supplier of Bitumen & Steel products under arrangement with Oil & Steel Companies. Initiated cold mix technology in view of geographical conditions of the State.
- Appointed 'Nodel agency' by Govt. of India for implementation of prestigious Infrastructure Development projects.
- Provides guidance/information regarding policies & procedures of the Government on setting up of Industries.

ON OFFER:- Industrial plots of various sizes at newly developed Industrial Estate at DAVNI & Nalagarh (near Baddi - Distt. Solan - through auctions), Pandoga (Una) and Kandrori (near Pathankot-Punjab border).
For details please visit our website - www.hpsidc.nic.in

For details, please contact :
Dr. S.S. Guleria, IAS
MANAGING DIRECTOR

HIMACHAL PRADESH
STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION. LTD.
New Himrus Building , Circular Road,
SHIMLA - 171001: [HP]
Phone : 2625339, 2621426,2624751 (2 lines) Email :hpsidc@rediffmail.com
Fax : 0177 - 2624278.: Web : www.hpsidc.nic.in

hpsidc - committed to industrial growth

बाहरा यूनिवर्सिटी के डा.मनीष का पेटेंट के लिए दावा

शिमला/शैल। बाहरा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल विभाग के प्रमुख मनीष शर्मा ने लिपिड लौरिंग मौलिकुयल पर पेटेंट का दावा ठोका है। उन्होंने 28 व 29 अप्रैल को

दुबई में हुए इंटरनेशनल कांफ्रेंस एंड एक्सपो ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2016 में लिपिड लौरिंग मौलिकुयल के विकास पर शोध पत्र पेश किया। मनीष शर्मा ने अपने शोध को इंडियन पेटेंट के पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया है।

शर्मा ने दावा किया है कि यह मौलिक्युल हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल वाले रोगियों के लिए बहुत फायेदमद है। उन्होंने कहा की प्रयोगशाला में हुए विभिन्न परिक्षण में मौलिक्युल की जबरदस्त क्षमता कसौटी पर खरी उतरी है व इस शोध के अध्ययन में उन्हें तीन साल लगे।

डा. शर्मा कि इस शोध को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफिका, मिस्र, पोलैन्ड, तुर्की के विशेषज्ञों से सराहाना मिली और लिवर सुरक्षा प्रोफाइल एजेंट को जानने के लिए विशेषज्ञों ने दिलचस्पी भी दिखाई।

यही नहीं मनीष शर्मा को उनके इस अनुसंधान के निष्कर्षों पर अगस्त 2016 को आस्ट्रिया के वियाना और नवम्बर 2016 में चीन के नाजिन शहर में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया है।

प्रो. चांसलर बाहरा विश्वविद्यालय शिमला डा. एस के बंसल ने डा. मनीष शर्मा को उनके सफल अनुसंधान के लिए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनके शोध से मानव जाति लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा की डा. शर्मा के शोध हाई ब्लड कोलेस्ट्राल लेवल के मरीजों के लिए नई व् अधिक कारगर दवाइयां बनने में कारगर सिद्ध होगी।

डा. बंसल ने आशा व्यक्त की कि डा. शर्मा के शोध बाहरा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज के छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगी जो की छात्रों को शोध व् विषय ज्ञान में डा. मनीष शर्मा के अनुभव व् मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे।

कशांग प्रोजेक्ट:

NGT का MOEF व वीरभद्र सरकार को ग्रामसभा के समक्ष नतमस्तक होने के आदेश

शिमला/शैल। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एनजीटी ने मोदी व वीरभद्र सिंह सरकार को फटकार लगाते हुए हिमाचल के किन्नौर में प्रस्तावित कशांग पावर प्रोजेक्ट लिए फारेस्ट डायवर्शन के प्रस्ताव को प्रभावित गांवों लिप्पा, तेलंगी, पांगी और रारंग की ग्राम सभाओं के समक्ष पेश करने आदेश दिए है। एनजीटी ने सरकार को वनाधिकार का उल्लंघन कर दी गई है। इन कानून के तहत वनों को प्रोजेक्ट के लिए हस्तांतरित करने के लिए प्रभावति गांवों से एनओसी लेना लाजिमी है। जजमेंट में कहा गया है कि ग्रामसभाएं वनों व पानी के स्त्रोतों के प्रभावित होने की सूरत में सामुदायिक व व्यक्तिगत सभी दावों पर विचार करेगी।

कानून 2006 की पालना के आदेश भी दिए है। अपनी जजमेंट में मोदी सरकार की पर्यावरण व वन विभाग को वनों से संबधित मंजूरियों को लेने के सारे दस्तावेजों को ग्राम सभाओं के समक्ष रखने के आदेश दिए है।

ये जजमेंट एनजीटी की जस्टिस स्वतंत्र कुमार वाली प्रधान पीठ ने प्रोजेक्ट के लिए दी गई फारेस्ट क्लीयरेंस को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए दी। इन मंजूरियों को पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति लिप्पा ने चुनौती दी थी। समिति ने कहा था कि ये सारी मंजूरियां वनाधिकार अधिनियम 2006

जिला किन्नौर में बिजली बोर्ड व हिमाचल पावर कारपोरेशन की ओर से एकीकृत कशांग प्रोजेक्ट चरण 1 व दो स्थापित किया जा रहा है 243 मेगावाट के इस एकीकृत प्रोजेक्ट में अभी 130 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाना है। इनमें से पहले चरण के प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है जबकि दूसरे चव तीसरे चरण के प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरियां मिल चुकी है लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इन पर काम शुरू नहीं हो पाया है।

एसजेवीएन विश्व पटल पर

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूटान में

600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया

2014-15 में विद्युत उत्पादन क्षमता में 460 मेगावाट की वृद्धि

- 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश
- महाराष्ट्र में 47.6 मेगावाट की खिरवीरे पवन ऊर्जा परियोजना

- हिमाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा भूमिगत 1500 मेगावाट जलविद्युत स्टेशन।
- आरएचपीएस को ''जल विद्युत परियोजनाएं शीघ्र पूरी करने'' की श्रेणी में ''गोल्ड शील्ड'' तथा ''सिल्वर शील्ड''।
- ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों, पवन, ताप एवं सौर क्षेत्र में प्रवेश।
- विद्युत ट्रांसमिशन एवं परियोजना परामर्श तथा परामर्शक सेवाएं।
- एनजेएचपीएस को वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 'बेहतरीन निष्पादन' के लिए 'गोल्ड शील्ड' पुरस्कार।
- विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी देशों में 12 विद्युत परियोजनाओं का निर्माण-कार्य।

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(A joint Venture of Govt of India & Govt. of Himachal Pradesh)
A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU

SHARAD/09/2015

सीआईएन: L40101HP1988GOI008409
पंजीकृत कार्यालय: हिमफेड बिल्डिंग, न्यू शिमला-171009
www.sjvn.nic.in

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

ज्यादतीयों के शिकार वीरभद्र और धूमल

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल दोनो अपने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को लगातार राजनीतिक प्रतिशोध और ज्यादती करार देते आ रहे हैं। वैसे जितने ऊंचे स्वर में यह शीर्ष नेता अपनी व्यथा कथा जनता के सामने रखते आ रहे हैं उससे जांच ऐजेन्सीयों से लेकर अदालत तक का मन इनके आंसूओं से पसीजता जा रहा है। दोनों के खिलाफ एक बराबर के मामले हैं और दोनों के खिलाफ ही जांच ऐजेन्सीयों को हिरासत जैसा कदम उठाने का साहस नही हो पाया है। धूमल के खिलाफ वीरभद्र ज्यादती कर रहे हैं तो वीरभद्र के खिलाफ भाजपा की मोदी सरकार। लेकिन अब तक किसी के भी खिलाफ कुछ निर्णायक हुआ नही है। जनता दोनों के ब्यानों का मजा ले रही है वह जानती है कि कैसे दोनों जनता को मूर्ख मानकर चल रहे हैं।

दोनों के ब्यानों पर स्कैण्डल प्वाईंट तक पहुंची चर्चा में लोग एस एम कटवाल, स्व. वी एस थिंड और सुभाष आहलूवालिया का जिक्र करने लग जाते हैं। एस एम ट्वाल को वीरभद्र सरकार ने कैसे परेशान किया यह सब जानते है। यह भी सब जानते है कि आज तक कटवाल पर रिश्वत लेने का कोई आरोप नही लग पाया है। कटवाल के बाद धूमल शासन में स्व. वी एस थिंड और सुभाष आहलूवालिया की बारी आयी। वी एस थिंड के मामले में तो सीबीआई की क्लीन चिट को भी उनकी मौत के 15 दिन बाद उजागर किया गया था। लोकायुक्त की रिपोर्ट भी उनकी मौत के बाद सामने आयी थी। सुभाष आहलूवालिया के मामलों में तो आयकर विभाग की रिपोर्ट को भी अधिमान नही दिया गया था। आज भी बहुत सारे ऐसे मामले है जिनमें इन्साफ की इंतजार है लेकिन तन्त्र इन्साफ देने का साहस नही जुटा पा रहा है।

आज सचिवालय के गलियारों से लेकर स्कैण्डल तक हर आदमी यह सवाल उठा रहा है कि क्या कटवाल, थिंड और सुभाष के खिलाफ ज्यादती नही थी? क्या इनके गुनाहों से इन राजनेताओं के गुनाह छोटे हैं? जनता सबके गुनाहों को याद रखती है। इन नेताओं से यही जानना चहा रही जिस चक्की में यह लोग पीसे है उससे होकर इन नेताओं को नही गुजरना चाहिये। काश इन नेताओं को यह अहसास हो पाये की ज्यादती क्या होती है और उसकी पीड़ा कितनी होती है।

सड़क हादसों पर
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को सरकार का ठेंगा

शिमला/शैल। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार के आदेशों को प्रदेश की अब तक की सरकारों व अफसरों ने ठेंगे पर रखा हुआ है जिसकी वजह से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश सड़क हादसों में खलनायक बन कर उभरा है। अकेले 2014 में प्रदेश में सड़क हादसों में 1403 मौतें हो गई हैं (ये नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा है)। 2015 का आंकड़ा सरकार जारी नहीं कर पा रही है। पिछले 48 घंटों में ही 22 से ज्यादा लोगों की मौतें सड़क हादसे में हो गई है। आलम ये है कि अगर रात के अंधेरे में कोई किसी को कुचल के भाग जाए तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है।

उस पर तूर्रा ये है कि सरकार के मंत्री व नौकरशाह मजे ले रहे हैं। उन्हें ये मौतें कैसे रोकी जाए इसकी कोई परवाह ही नहीं है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ब्यानबाजियों के फर्रे उड़ाने और सोशल मीडिया में आगामी चुनावों के मद्देनजर अपनी छवियां चमकाने में लगे हैं। इसके लिए बाकायदा लोगों को जिम्मा दे रखा है। लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौतें कैसे रुकेगी इस बारे में कोई ब्लू प्रिंट सामने नहीं आया है।

आज ही राजधानी शिमला में मोदी सरकार के सड़क परिवहन व

राजमार्ग मंत्रालय की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य कमलजीत सोई ने मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि सड़क हादसों में मौतों की संख्या कम करने के कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएं। इस बावत उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 21 अगस्त 2009 को लिखी चिट्ठी भी जारी की है जिसमें उन्होंने बतौर मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्पीड गवर्नर लगाने के लिए सभी राज्यों से इस बावत कदम उठाने को कहा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बावत कुछ नहीं किया।

कमलजीत ने दावा किया कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोग हिमाचल में ही मरते है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सभी कमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगने चाहिए। बाकी सरकारों की तरह हिमाचल सरकार भी इस आदेश की पालना कराने के लिए समय मांगती रही है और अब सरकारने 30 जुलाई तक का समय मांगा है।हालांकि लगता नहीं है कि ये आदेश लागू हो पाएगा।

कमलजीत ने दावा किया कि वो इस बावत प्रधान सचिव परिवहन संजय गुप्ता से मिले व उन्होंने उन्हें भरोसा दिया है कि वो इस दिशा में काम करेंगे। संजय गुप्ता को हाल ही में प्रधान सचिव परिवहन का जिम्मा दिया गया है। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय मितल के पास ये जिम्मा था।

कमलजीत ने कहा कि अगर वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा दिए जा तो स्पीड एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। इससे हादसे कम होंगे और 20 से 25 फीसद तक मौतें कम की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि कमर्शियल वाहनों के चालको की स्थिति सबसे ज्यादा बदहाल है। सड़क पर चलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने माना कि कानून की अनुपालना सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों की 40 प्रतिशत कमर्शियल वाहनों की वजह से होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यात्रा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है।

उन्होंने सलाह दी कि सरकार को स्पीड गवर्नर लगाने वाली कंपनियों का पैनल बनाना चाहिए व उनसे पांच साल की गारंटी लेनी चाहिए ताकि वाहन मालिक भ्रष्टाचार का शिकार न हो।

अभी तक परिवहन मंत्री जी एस बाली दावा ठोकते रहे हैं कि बदहाल सड़कें सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते रहे हैं कि कानून का पालन करना पुलिस का काम है व पुलिस सीएम के सुपुर्द है।

निजि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भड़के अभिभवक

शिमला/शैल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसलों से जोश में आए राजधानी शिमला के चुनिंदा अभिभावकों ने निजी स्कूलों की ओर से मनमाने तौर पर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर नया चैप्टर शुरू कर दिया है।अभी तक स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक कभी सामने नहीं आए थे लेकिन संजौली के एक निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने

शिमला के डीसी रोहन ठाकुर और वामपंथी डिप्टी मेयर जो नगर निगम की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष भी है, के सामने स्कूल के कारनामों का भंडा फोड़ दिया।

इन अभिभवकों ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले व संजीदा है। डीसी रोहन ठाकुर ने अभिभावकों के खुलासे के बाद इस मसले पर रिपोर्ट तलब की तो टिकेंद्र पंवर ने इस मामले को साामाजिक न्याय समिति के सुपुर्द कर 13 मई को सुनवाई तय कर दी है।

मामला संजौली स्थिति सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का है। अभिभावकों ने आर एस चौहान की कमान में एडहॉक पीटीए गठित कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जंग का एलान कर दिया है। संभवत: निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिमला में इस तरह अभिभावकों का खुलकर सामने आना पहली बार है। अभिभावकों ने डिप्टी मेयर व डीसी से कहा कि स्कूल प्रबंधन ने 30 से 45 फीसद तक फीस बढ़ा दी है और धमकी दी जा रही है कि अगर 10 मई तक फीस जमा नहीं कराई गई तो बच्चों को स्कूल मत भेजना। इसके अलावा फीस जमा कराने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे है।

अभिभावकों ने टिकेंद्र को ये एसएमएस भी दिखाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते दिनों स्कूल प्रबंधन ने सभी अभिभावकों को स्कूल में बुलाया व बाद में उनके बच्चों को उनके पास भेज दिया कि अपने माता पिता से कहों कि वो वापस चले जाए। शोर हो रहा है। इस तरह से फजीहत की जा रही है। जबकि अभिभावकों ने 31 मई तक फीस भरी हुई है।

राजधानी शिमला में अभिभावक इसी स्कूल से नहीं बल्कि बाकी निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने के फैसलों से परेशान है लेकिन बच्चों का मामला देखते हुए कोई भी खुलकर सामने नहीं आ पाते। आलम ये है कि कांग्रेस पार्टी व भाजपा के नेता भी कहीं जुबान नहीं खोलते। लेकिन वामपंथियों ने स्टैंड लेकर इस मसले पर एक तरह से बहस छेड़ दी है।

क्या एन जी टी के निर्देशानुसार

.....पृष्ठ 1 का शेष

कांगड़ा ने निदेशक टी सी पी को पत्र लिखकर इस निर्माण में कुछ रियायतें देने का आग्रह किया। इस पर 28-4-2007 को यह मामला मन्त्रिमण्डल के सामने आया। आरएफपी के अनुसार कुल निर्मित एरिया 6459 वर्ग मीटर होना था जबकि वास्तव में यह एरिया 13270 वर्ग मीटर हो गया है। टर्मिनल ब्लाक में जहां आरएफपी के मुताबिक दो मंजिले बननी थी वहां छः मंजिले बन गयी है। अनुमानित निर्माण लागत 15 करोड़ में से प्रशांती सूर्य ने आठ करोड़ बैंको से ऋण लेकर जुटाये हैं जिसकी गारंटी राज्य सरकार ने दी है। सी ई सी ने इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए लिखा था कि It has been Stated by M/S Prashanti Surya that it has taken Rs 8 Crores as loan for which state of Himachal Pradesh stands a guarantee. If this statement is correct , it is a very serious Lapse an stern action needs to be taken against the concerned persons for giving guarantee. The RFP document does not provide that the State will stand guarantee for repayment of loan taken by the successful bidder. सी ई सी ने राज्य सरकार से भी उसका पक्ष पूछा था। राज्य सरकार ने कहा है कि The State Government has stated that inadvertently, an error has been committed by using the piece of land measuring 093 hac for the construction of a commercial hotel complex rather than for parking place.

सर्वोच्च न्यायालय की सी ई सी के बाद यह मामला एन जी टी के पास पहुंचा है। एन जी टी ने इसमें 35 लाख जुर्माना लगाने के साथ संबद्ध दोषी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। अब सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जायेगी या दोषीयों के खिलाफ कारवाई करेगी इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की सी ई सी तो इसमें पहले ही गंभीर संज्ञान ले चुकी है। सी ई सी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को कड़ी फटकार लगायी हुई है। सी ई सी परिवहन फॉरैस्ट, वित्त, टीसीपी, राजस्व और जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी टिप्पणीयां कर चुकी है जिसके अनुसार सबके खिलाफ आपराधिक मामले बनते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से सरकार को राहत की उम्मीद बहुत कम है।